



Neutral Citation No. - 2026:AHC:171203

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

आपराधिक प्रकीर्ण अग्रिम जमानत आवेदन अन्तर्गत धारा 482 संख्या- 8274/2026

युनूस उर्फ मोहम्मद युनूस

..... आवेदक (गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

..... विपक्षी (गण)

आवेदक (गण) की ओर से अधिवक्ता : अभिषेक शुक्ला, शिवम मिश्रा

विपक्षी (गण) की ओर से अधिवक्ता : जी.ए.

न्यायालय संख्या- 71

माननीय न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला

1- आवेदक की ओर से विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

2- वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 51 वर्ष 2026, धारा 317(2), 317(5), 3(5) बी.एन.एस., 2023, थाना फेस-2, जनपद गौतम बुद्ध नगर में इस प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया गया है कि उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाए, क्योंकि आवेदक को उपर्युक्त प्रकरण में अपनी गिरफ्तारी की आशंका है।

3- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि आवेदक को वर्तमान प्रकरण में झूठा फंसाया गया है। कथित अपराध से उसका कोई संबंध नहीं है, इसके बावजूद पुलिस आवेदक को गिरफ्तार करने का प्रयास कर रही है। यह प्रस्तुत किया गया कि आवेदक को घटनास्थल पर गिरफ्तार नहीं किया गया था। सह-अभियुक्त सलमान एवं भानु चौधरी को घटनास्थल पर गिरफ्तार किया गया था। उन्हें इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा आपराधिक विविध जमानत आवेदन संख्या 8939 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 15.04.2026 के आदेश द्वारा जमानत पर रिहा किया गया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप लगाया गया है कि आवेदक एवं सह-अभियुक्त कलाम, साजिम तथा फखरुद्दीन @ फखरू घटनास्थल से भाग निकलने में सफल रहे और घटनास्थल पर गिरफ्तार किए गए सह-अभियुक्तों द्वारा उनके नाम बताए गए। आवेदक के विरुद्ध कोई

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ग्राह्य साक्ष्य नहीं है। आगे यह तर्क दिया गया कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्त कलाम एवं साजिम को इस न्यायालय द्वारा एन.ए.बी.ए.आई.एल. संख्या 1505 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 16.03.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। सह-अभियुक्त फखरुद्दीन @ फखरू, जिसका प्रकरण आवेदक के प्रकरण के समान है, को भी इस न्यायालय द्वारा एन.ए.बी.ए.आई.एल. संख्या 4872 वर्ष 2026 में पारित दिनांक 25.06.2026 के आदेश द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है। आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है। आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने आगे प्रस्तुत किया कि आवेदक विवेचना एवं विचारण के दौरान सहयोग करने का वचन देता है तथा विवेचना अभिकरण अथवा संबंधित न्यायालय द्वारा जब भी अपेक्षित होगा, उपस्थित होगा। यह भी कहा गया है कि यदि आवेदक को अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है, तो वह जमानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगा, विवेचना में सहयोग करेगा तथा न्यायालय द्वारा अधिरोपित की जाने वाली सभी शर्तों का पालन करेगा।

4- विद्वान ए.जी.ए. ने अग्रिम जमानत प्रदान किए जाने की प्रार्थना का विरोध किया, तथापि, वह आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास बताने में असमर्थ रहे।

5- मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार किया है।

6- इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि समान स्थिति वाले सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय द्वारा अग्रिम जमानत प्रदान की गई है और आवेदक का कोई आपराधिक पूर्ववृत्त नहीं है, मैं आवेदक को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाना उचित समझता हूं।

7- आवेदक का अग्रिम जमानत आवेदन **स्वीकृत** किया जाता है।

8- उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक-यूनुस @ मोहम्मद यूनुस की गिरफ्तारी की स्थिति में, उसे अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाएगा, बशर्ते कि वह संबंधित थाने के थाना प्रभारी/न्यायालय की संतुष्टि के लिए समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र एवं जमानतदार प्रस्तुत करे. निम्नलिखित शर्तों के अधीन:-

i- आवेदक जब भी अपेक्षित हो, पुलिस अधिकारी द्वारा पूछताछ के लिए स्वयं को उपलब्ध कराएगा;

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



ii- आवेदक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकरण के तथ्यों से परिचित किसी व्यक्ति को कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा, जिससे वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय अथवा किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विमुख हो जाए;

iii- आवेदक न्यायालय की पूर्व अनुमति के बिना भारत से बाहर नहीं जाएगा;

iv- आवेदक अभियोजन साक्षी पर दबाव नहीं डालेगा/उसे भयभीत नहीं करेगा।

9- उपर्युक्त किसी भी शर्त के उल्लंघन की स्थिति में, संबंधित न्यायालय को जमानत निरस्त करने की स्वतंत्रता होगी।

10- यह स्पष्ट किया जाता है कि उपर्युक्त की गई टिप्पणियां केवल वर्तमान अग्रिम जमानत आवेदन के निर्णय के प्रयोजनार्थ हैं और इन्हें प्रकरण के गुण-दोष पर राय नहीं माना जाएगा।

(न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला)

13 अगस्त, 2026

कुशल